


SDDO

21.05.24, पत्रावली भेजा हुई, वकील वारी उपाधित।
वकील वारी पत्रावली को हाजि नहीं खलाना
चाहत एन-पापालय की सी गई कार्यवाही से
संबुद्ध हैं, वकील वारी द्वारा पत्रावली नोट प्रेस
करने का निवेदन किया। वकील वारी द्वारा
नोट-प्रेस किया जाने के आधार पर वाद
खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल
शुभार होकर ~~के~~ दफ्तर दाखिल होवे।

Note
press
L



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा